न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर जिला भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारीः—सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः—17 / 2022 (2022 / 25) वाद पत्र

अनवान

1—गोपसिंह पिता समुन्द्रसिंह राजपूत निवासी बाड़ियाकलां तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2—पहाड़सिंह पिता ईश्वरसिंह राजपूत निवासी बाड़ियाकलां तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3—राजु पिता मांगीलाल सेन निवासी बाड़ियाकलां तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4—मियाराम पिता हेमा गाडरी निवासी बाड़ियाकलां तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
5—पप्पुसिंह पिता खमाणसिंह राजपूत निवासी बाड़ियाकलां तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
6—स्वरूपसिंह पिता खमाणसिंह राजपूत निवासी बाड़ियाकलां तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
7—पर्वतसिंह पिता खमाणसिंह राजपूत निवासी बाड़ियाकलां तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
8—भंवरलाल पिता देईचन्द गाडरी निवासी बाड़ियाकलां तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
9—शिवलाल पिता देईचन्द गाडरी निवासी बाड़ियाकलां तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
10—अर्जुन पिता देईचन्द गाडरी निवासी बाड़ियाकलां तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
11—सुरेश पिता देईचन्द गाडरी निवासी बाड़ियाकलां तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
12—हरूलाल पिता देईचन्द गाडरी निवासी बाड़ियाकलां तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
13—सुरजमल पिता देईचन्द ना.बा.बे.वि. माता अणछीबाई गाडरी निवासी बाड़ियाकलां
14—श्रवण पिता देईचन्द ना.बा.बे.वि. माता अणछीबाई गाडरी निवासी बाड़ियाकलां
15—मुन्नालाल पिता देईचन्द ना.बा.बे.वि. माता अणछीबाई गाडरी निवासी बाड़ियाकलां
16—लादी पुत्री देईचन्द ना.बा.बे.वि. माता अणछीबाई गाडरी निवासी बाड़ियाकलां
17—अणछी पुत्री देईचन्द ना.बा.बे.वि. माता अणछीबाई गाडरी निवासी बाड़ियाकलां

वादीगण

बनाम

1—नारायण बेवा अमरा गाडरी निवासी बाड़ियाकलां तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2—बालु उर्फ डालु पिता गुलाब गाडरी निवासी बाड़ियाकलां तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3—कंकु बेवा नंगजी गाडरी निवासी बाड़ियाकलां तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4—भग्गा उर्फ भगवानलाल पिता मांगु गाडरी निवासी बाड़ियाकलां तह.रायपुर जिला भीलवाड़ा
5—कुसुमी पुत्री मांगु गाडरी निवासी बाड़ियाकलां तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
6—सायरी पुत्री मांगु गाडरी निवासी बाड़ियाकलां तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
7—सुखी पुत्री जयराम गाडरी निवासी बाड़ियाकलां तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
8—भगवानलाल पिता मांगु गाडरी निवासी बाड़ियाकलां तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
9—राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रायपुर, तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रतिवादीगण

वाद पत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित

1. फारूख मोहम्मद— अधिवक्ता वादीगण
2. हरीश टेलर — अधिवक्ता प्रतिवादीगण

Signature Not Verified
Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2022.07.30 11:44:07 IST
Reason: SelfAttested

दिनांकः—01.06.2022

निर्णय

पत्रावली पेश हुई। प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि राजस्व ग्राम बाड़ियाकलां पटवार मण्डल नान्दशा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा के बैरून हल्का आबादी में विपक्षीगण के पूर्वज गुलाब, नंगजी पिता भुरा गाडरी व अन्य की सामलाती खातेदारी अधिकार एवं

कब्जे काश्त की साबिक आराजी संख्या 333/1 रकबा 2 बीघा भूमि स्थित थी प्रमाण में साबिक जमाबन्दी नकल संवत् 2035 से 2038 तक साथ संलग्न हैं। इसी प्रकार साबिक आराजी संख्या 333 मीन रकबा 9 बीघा 5 बिस्वा भूमि बिलानाम होकर राज्य सरकार के नाम पर दर्ज रेकार्ड थी। साबिक आराजी नम्बर 333/2 रकबा 7 बीघा 5 बिस्वा भूमि कालान्तर में आबादी दर्ज रेकार्ड हुई प्रमाण में नकल जमाबंदी पेश हैं। प्रार्थीगण व अन्य खातेदारान को आबादी दर्ज रकबे में से ग्राम पंचायत द्वारा पट्टे जारी किये गये तथा मौके पर प्रार्थीगण काबिज होकर बाड़े बनाकर उपयोग उपभोग करीबन 50 वर्ष से भी अधिक समय से करते चले आ रहे हैं। साबिक आराजी संख्या 333/1 विपक्षीगण के पूर्वजों के नाम पर दर्ज रेकार्ड चली आ रही थी, लेकिन साबिक जमाबंदी संवत् 2038 में विपक्षीगण के पूर्वजों के नाम पर गलत रूप से 331/1 रकबा 2 बीघा भूमि दर्ज हो गई, जो लगातार रोटेशन में उनके नाम पर दर्ज रेकार्ड चली आ रही हैं। विपक्षीगण ने बिना इन्द्राज दुरुस्ती के उक्त साबिक नम्बर जिसके नवीन नम्बर कायम हुए। इसी आधार पर विपक्षीगण ने प्रार्थीगण के विरुद्ध बेदखली की डिक्री प्राप्त कर ली, जबकि विपक्षीगण के नाम पर अलग साबिक नम्बर दर्ज रेकार्ड था। साबिक आराजी संख्या 333 के बट्टा नम्बर कायम हुए तथा साबिक आराजी संख्या 331 व 332 के भी बट्टा नम्बर कायम हुए। इस प्रकार साबिक आराजियात के नवीन नम्बर 1131 रकबा 0.43 हैक्ट आराजी संख्या 1132 रकबा 0.86 हैक्ट. आराजी संख्या 1133 रकबा 0.06 हैक्ट, व अन्य नवीन आराजी नम्बर 1145, 1150, 1152, 1153, 1154 कायम हुए। प्रमाण में मिलान क्षेत्रफल साथ प्रस्तुत हैं। नवीन आराजी संख्या 1131 रकबा 0.43 हैक्ट, साबिक नम्बर 331/1 के कायम हुए हैं, जबकि प्रार्थीगण के नाम पर साबिक आराजी संख्या 333/1 रकबा 2 बीघा दर्ज रेकार्ड था, लेकिन राजस्व रेकार्ड में नवीन आराजी संख्या 1131 रकबा 0.43 हैक्ट, भूमि विपक्षीगण के नाम पर दर्ज रेकार्ड हो गई, जिससे विपक्षीगण ने प्रार्थीगण के विरुद्ध बेदखली का वाद प्रस्तुत किया। मौके पर प्रार्थीगण आराजी संख्या 1131 रकबा 0.43 हैक्ट भूमि पर काबिज है, तथा सभी ने बाड़े बना रखे हैं। विपक्षीगण के नाम पर दर्ज साबिक आराजी संख्या 333/1 रकबा 2 बीघा भूमि अन्यत्र जगह साबिक नक्शे में दर्ज थी जिसके नवीन नम्बर 1149 रकबा 0.59 है0 है। प्रार्थीगण को इस बात की जानकारी हुई, तो उन्होंने इन्द्राज दुरुस्ती हेतु यह वाद पत्र न्यायालय आप में प्रस्तुत किया हैं। प्रार्थीगण इन्द्राज दुरुस्ती की डिक्री प्राप्त करने के अधिकारी है। प्रार्थीगण मौके पर आबादी शुदा रकबे पर काबिज हैं। विपक्षीगण साबिक आराजी संख्या 331 में दर्ज रकबे के खातेदार नहीं हैं। साबिक आराजी संख्या 333 में दर्ज रकबे के खातेदार हैं। जिसके साबिक बट्टा नम्बर 333/1 थे। साबिक एवं हाल नक्शें में गलत रूप से तरमीम की गई हैं। जिसे प्रार्थीगण दुरूस्त करवाने के अधिकारी हैं। प्रथम दृष्टया मामला प्रमाणित होने से एवं सुविधा का सन्तुलन भी प्रार्थीगण के पक्ष मे है साबिक नक्शे के अनुरूप नवीन नक्शे में तरमीम नही होने से विपक्षीगण आये दिन प्रार्थीगण के कब्जे काश्त में दखलंदाजी पैदा करते रहते है जिसे जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से [illegible] गया तो प्रार्थीगण को अपूर्णीय क्षति होगी। अतः प्रार्थीगण की सादर प्रार्थना है कि अस्थाई निषेधाज्ञा की डिकी बहक प्रार्थीगण विरुद्ध विपक्षीगण मूलवाद के निस्तारण तक इस आशय की जारी फरमाई जावे कि प्रार्थीगण को विपक्षीगण उनके साबिक नक्शे के अनुसार नवीन आराजी संख्या 1131 रकबा 0.43 है0 जिस पर प्रार्थीगणो का कब्जा चला आ रहा है जिसमें किसी प्रकार की नाजायज दखलदांजी न तो स्वयं करे न अन्य से

Signature Not Verified
Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2022.07.30 11:44:07 IST
Reason: SelfAttested

करावे तथा जबरन ताकत के बल पर प्रार्थीगण को बेदखल न तो स्वयं करे न अन्य से करावे, प्रार्थीगण को शान्तिपूर्वक कब्जे काश्त करने देवे। मौके एवं राजस्व रेकार्ड की यथास्थिति बनाये रखें।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 14.01.2022 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को नोटिस जारी किया गया। नोटिस की पालना में विपक्षीगण की ओर जवाब प्रस्तुत किया जो शामिल पत्रावली किया गया व विपक्षी संख्या 9 फोरमल पक्षकार है।

विपक्षीगण की ओर से जवाब में अंकन किया कि विपक्षीगण के पुर्वज गुलाब नंगजी पिता भुरा गाडरी व अन्य की सामलाती मे 333/1 भुमि दर्ज नहीं रही और इससे प्रार्थीगण कोई लेना देना नहीं है। इसी प्रकार साबिक आराजी संख्या 333 मीन रकबा 9 बीघा 5 बीस्वा बिलानाम होकर इससे भी प्रार्थीगण का कोई लेना देना नही है साबिक आराजी संख्या 333/2 रकबा 7 बीघा 5 बिस्वा भुमि आबादी दर्ज हुई है तो वह प्रार्थीगण स्वयं साबिक करावें। प्रार्थीगण व अन्य खातेदारान को आबादी दर्ज रकबे मे से ग्राम पंचायत द्वारा पट्टे जारी किये गये हो तो इसको भी स्वयं साबित करावे प्रार्थीगण ने अन्य खातेदारान कोन थे उनके नाम अंकित नहीं किये उनके पट्टों से पडौस मीलान हो सकते थे किन्तु प्रार्थीगण ने तथ्य छुपा कर और अस्पष्ट रूप से प्रार्थनापत्र पेश किया है जिससे साफ साबित है कि प्रार्थीगण को पट्टे किस आराजी में दे रखे है और उनका कब्जा कहा था। साबिक आराजी संख्या 333/1 विपक्षीगणों के पूर्व जो के नाम के दर्ज के बजाय 331/1 दर्ज नही हुई बल्कि यही आराजी सेटलमेन्ट से पूर्व और सेटलमेन्ट के बाद दर्ज चली आ रही है प्रार्थीगण ने यहां यह स्पष्ट नहीं किया है कि 333/1 और 331/1 क्या प्रार्थीगण के नाम खातेदारी से दर्ज थी यदि नही तो इन आराजियात को दुरुस्त कराने का अधिकार प्रार्थीगण को कानूनन नहीं है क्योंकि वह इन दोनों आराजियात से प्रभावित नहीं है तथा यह भी प्रार्थीगणों ने स्पष्ट नहीं किया कि 331/1 पूर्व में किसके नाम पर थी। प्रार्थीगण तो 333/1 और 331/1 दोनो आराजी के अतिक्रमी ही है इस वाद से वह प्रार्थनापत्र से साबित होते हैं और प्रार्थीगण का इन आराजियात से लेना देना भी नहीं है प्रार्थीगण व इनके साथ नेनुराम पिता मेघा गाडरी निवासी बाडीया कला का हम विपक्षीगण की खातेदारी अधिकार एव कब्जे की आराजी संख्या 1131 पर किये हुऐं अतिक्रमण को हटाने के लिये व कब्जा प्राप्त करने के लिये ही बेदखली की डिग्री प्राप्त की तथा उसकी पालना में दिनांक 19.10.2021 को प्रार्थीगण व नेनुराम को मौके से बेदखल कर इसका कब्जा हम विपक्षीगण को मौके पर सिपूर्द किया गया तथा उसका मौकापर्चा कायम किया गया। अतिक्रमी नेनुराम पिता मेघा गाडरी ने विपक्षीगण से राजीनामा कर के दिनांक 14.06.2021 को हम विपक्षीगण की भूमि मानते हुए ही हमें प्रतिफल देकर उसी भूमि को खरीदा और चार दिवारी का निर्माण भी कराया। इसीलिये नेनुराम उसके खिलाफ डिग्री होते हुए भी प्रार्थीगण के साथ नहीं मिला और उसने कोई कार्यवाही नहीं की। विपक्षीगण के नाम दर्ज साबिक आराजी संख्या 331/1 के नवीन नम्बर 1131 कायम किये गये तथा पंचायत की आबादी की आराजी संख्या 333/2 के नवीन नम्बर 1132 रकबा 0.86 हेक्ट 1149 रकबा 0.59 हेक्ट कायम किये गये। यहा स्पष्ट करना आवश्यक है कि प्रार्थीगण द्वारा स्वयं प्रार्थनापत्र की कण्डिका संख्या 1 व 2 में यह अंकित किया गया है कि 333/2 रकबा 7 बीघा 5 बिस्वा में प्रार्थीगण को पट्टे जारी किये गये तो प्रार्थीगण के पट्टे इस आराजी के नवीन नम्बर 1132, 1149 में बाडे आने चाहिये हम विपक्षीगण की आराजी से उनका कोई लेना देना नहीं होना ही इनसे साबित है। प्रार्थीगण के नाम पर 331/1 ही दर्ज नहीं रही उसके नवीन

Signature Not Verified
Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2022.07.30 11:44:07 IST
Reason: SelfAttested

नम्बर 1131 कायम किये गये जो हम विपक्षीगण के नाम दर्ज है भुमि प्रार्थीगण के नाम पर रकबा 2 बिघा भुमि कब दर्ज रही इसका अंकन नहीं किया हम विपक्षीगण ने न्यायालय से बेदखली की डिक्री आराजी संख्या 1131 पर प्राप्त की और इसी पर कब्जा प्राप्त किया जो कि आबादी की आराजी नहीं है। 333/1 के सम्बन्ध में भी प्रार्थीगण इन्द्राज दुरुस्ती की डिग्री प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है क्योंकि 333/1 व 331/1 से प्रार्थीगण किसी भी रूप से प्रभावित पक्षकार नहीं है प्रार्थीगण का वास्ता यदि उनके पास पट्टे है तो आबादी की आराजी संख्या 333/2 व उससे बनने वाले नवीन नम्बर 1132, 1149 से है। प्रार्थीगण का कब्जा आबादी शुदा रकबे पर नहीं है प्रार्थीगण का कब्जा विपक्षीगण की आराजी संख्या 1131 पर था जिसकों दिनांक 19.10.2021 को डिक्री दिनांक 06.08.2020 की पालना में हटाकर उसका कब्जा हम विपक्षीगण को सिपूर्द कर दिया गया है तब से हम विपक्षीगण इसका उपयोग उपभोग करते चले आ रहे है। नवीन आराजी संख्या रकबा 0.43 हैक्ट पर प्रार्थीगण का कोई हक अधिकार नहीं है यह आराजी हम विपक्षीगण की खातेदारी की है और इस पर प्रार्थीगण द्वारा किये गये अतिक्रमण को न्यायालय श्रीमान द्वारा जारी डिग्री दिनांक 06.08.2020 की पालना में दिनांक 19.10.2021 को सर्कल गिरदावर, पटवारी हल्का द्वारा हटाया जाकर उसका कब्जा हम विपक्षीगण को सिपुर्द कर दिया। तब से हम विपक्षीगण ही उस पर काबिज है और उसका उपयोग उपभोग कर रहे है और प्रार्थीगण ने स्वयं यहा अंकित किया है कि उक्त डिक्री की अपील पेश कर रखी है। मजीद कथन के रूप में अंकन किया कि आबादी की साबिक आराजी संख्या 333/2 रकबा 7 बीघा 5 बिस्वा भूमि ग्राम पंचायत के अधीन थी और प्रार्थीगण ने पट्‌टे जारी करना बताया गया शेष रकबे की क्या स्थिति है प्रार्थीगण ने स्पष्ट नही किया है। आराजी सम्पूर्ण वादपत्र से कही पर भी गलत इन्द्राज होने का अकंन नही आया है जिससे स्पष्ट है कि प्रार्थीगण का वास्ता भी इसी आराजी से है और यह आराजी डिस्टर्ब नही है परन्तु प्रार्थीगण इसके नवीन कायम किये गये नम्बरो में नही बैठे है और इस आराजी को डिस्टर्ब मानते है तो ग्राम पंचायत द्वारा वादपत्र प्रस्तुत करना चहिये था जो नही कर न ही ग्राम पंचायत उक्त वाद के पक्षकार ही है जिससे वादपत्र चलने योग्य नही हैं। प्रार्थीगण को किसी अन्य व्यक्ति की भूमि को बिना प्रभावित हुए दुरस्त कराने का कोई अधिकार नही है प्रार्थीगण चाहे तो वह साबिक आबादी की साबिक आराजी संख्या 333/2 के बनने से नवीन नम्बर पर ग्राम पंचायत की अनुमति प्राप्त कर बैठ सकते है और पट्‌टे अनुसार काबिज हो सकते है जिससे प्रार्थना पत्र चलने योग्य नही है। अतः श्रीमान् से सादर प्रार्थना है कि प्रार्थीगण के उक्त प्रार्थना पत्र सव्यय खारीज फरमाया जावे।

उभयपक्ष अधिवक्ताओ की बहस सुनी गई।

प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए मुख्य निवेदन किया कि प्रतिवादी 1 से 8 की खातेदारी भूमि आराजी संख्या 333/1 रकबा 2 बीघा भूमि आवंटित हुई थी और शेष रकबा 7 बीघा 5 बिस्वा [illegible] आबादी में दर्ज हुई जिसके बटा नम्बर 333/2 कायम हुए। आगामी राटेशन में विपक्षीगण [illegible] भूमि 333/1 के बजाय 331/1 हो गई। प्रार्थीगण आराजी संख्या 333/2 जो ग्राम पंचायत [illegible] आबादी भूमि है जिस पर काबिज है। आराजी संख्या 331/1 के नवीन नम्बर [illegible] मौका स्थिति से भिन्न है। नवीन आराजी संख्या 1149 व 1150 जो भी 333 से बने है। प्रार्थीगण 1149 व 1150 का हकदार है आराजी

Signature Not Verified
Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2022.07.30 11:44:07 IST
Reason: SelfAttested

संख्या 1131 का नही है। प्रार्थीगण को विपक्षीगण जानबुझ कर बेदखल करना चाह रहे है जिससे विपक्षी के विरूद्व अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कर पांबद कराया जावे कि प्रार्थीगण को बेदखल नही करे।

विपक्षी अधिवक्ता के द्वारा अपनी बहस में जवाब पत्र में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए मुख्य कथन किया कि विपक्षी के नाम आवंटित भूमि पर काबिज है प्रार्थीगण के नाम कोई भूमि दर्ज रेकार्ड नही है। प्रार्थीगण ग्राम पंचायत की आबादी भूमि पर काबिज होना बताते हुए प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। प्रार्थीगण आबादी भूमि पर किस हैसियत से काबिज है इस सम्बन्ध मे कोई दस्तावेज प्रस्तुत नही किया है। प्रार्थीगण विपक्षीगण की आराजी को संशोधन कराना चाहता है जो विधि के विपरीत है। विपक्षीगण के द्वारा वर्ष 2014 में पत्थरगढ़ी कराने के बाद धारा 183 आर.टी.एक्ट के तहत् माननीय न्यायालय में कब्जा लेने का वाद पेश किया गया था जिस पर माननीय न्यायालय के द्वारा वर्ष 2020 में कब्जा देने की डिक्री जारी की गई जिसकी पालना में विपक्षीगण को 19.10.2021 को भूमि का कब्जा सिपूर्द किया गया है। विपक्षी प्रार्थीगण को जबरन बेदखल नही कर न्यायालय के आदेश की पालना में कब्जा प्राप्त किया है। नवीन आराजी संख्या 1131 पर प्रार्थीगणो का कोई हक अधिकार नही है। आराजी संख्या 1131 साबिक आराजी संख्या 331/1 से दर्ज हुए है जबकि प्रार्थीगण का आराजी संख्या 331/1 या 333/1 से कोई सम्बन्ध नही है। प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र के अनुसार अगर विपक्षी साबिक आराजी संख्या 333/1 का खातेदार है तो भी 333/1 का प्रार्थीगण का कोई सम्बन्ध नही है। और राजस्व रेकार्ड में दर्ज अनुसार आराजी संख्या 331/1 दर्ज है जिससे भी प्रार्थीगण का कोई सम्बन्ध नही है। प्रार्थीगण ग्राम पचांयत की आबादी भूमि पर अपना कब्जा बताते हुए प्रार्थना पत्र पेश किया गया है जिसमे यह नही दर्शाया कि प्रार्थीगण आबादी भूमि पर किस हैसियत से काबिज है इस बाबत् कोई दस्तावेज प्रस्तुत नही किये है और अगर प्रार्थीगण के पास अगर कोई दस्तावेज भी है तो प्रार्थीगण उस दस्तावेज के अनुसार ग्राम पंचायत की जहां आबादी भूमि दर्ज है वहां ग्राम पंचायत से वैध दस्तावेज के अनुसार कब्जा प्राप्त करे प्रार्थीगण विपक्षीगण की आराजी पर जबरन कब्जा कर माननीय न्यायालय को गुमराह कर स्थगन लेना चाहता है जो उचित नही है। प्रार्थीगण के द्वारा माननीय न्यायालय से धारा 183 के तहत् पारित डिक्री आदेश के विरूद्व राजस्व अपील प्राधिकारी महोदय (आरएए) भीलवाड़ा के न्यायालय में अपील पेश कर रखी है जो विचाराधीन है। प्रार्थीगण ग्राम पंचायत की आबादी भूमि को लेकर प्रार्थना पत्र पेश किया जबकि ग्राम पंचायत को पक्षकार नही बनाया गया है। प्रार्थीगण आराजी संख्या 1131 के अतिक्रमी है। प्रार्थीगण का अगर कोई सम्बन्ध है तो साबिक आराजी संख्या 333/2 से है। नवीन आराजी संख्या 1131 साबिक आराजी संख्या 333/2 का भाग नही है जिससे प्रार्थीगण का इस आराजियात से कोई सम्बन्ध नही है साबिक आराजी संख्या 333/2 के नवीन आराजी संख्या 1132, 1133, 1134, 1149, 1150, 1152, 1153, 1154, 1147 आदि बने अगर प्रार्थीगण के पास वैध दस्तावेज है तो इन नम्बरो से सम्बधित है। प्रार्थीगण [illegible] पत्र प्रथम दृष्टया प्रमाणित नही है। प्रार्थीगण को कोई अपूर्णीय क्षति नही [illegible] न्यायालय के आदेश की पालना में कब्जा दिया जा चुका है अगर अस्थाई निषेधाज्ञा जा[illegible] की गई जो प्रार्थीगण को अपूर्णीय क्षति होगी। प्रार्थना पत्र खारीज फरमाया जावे।

मैने पत्रावली में उपलब्ध साबिक एवं नवीन रेकार्ड का अवलोकन करते हुए उभयपक्ष अधिवक्ता की बहस पर गंभीरता से विचार किया तो पाया कि प्रकरण में प्रार्थीगण आबादी भूमि को

Signature Not Verified
Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2022.07.30 11:44:07 IST
Reason: SelfAttested

लेकर आये है और विपक्षीगण खातेदार कृषक है। प्रार्थीगण का मुख्य कथन रहा कि विपक्षीगण मूल रूप से साबिक आराजी संख्या 333/1 के खातेदार कृषक थे और आगामी रोटेशन में आराजी संख्या 331/1 दर्ज हो गये जिसके नवीन नम्बर 1131 बने है। प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र एवं साबिक रेकार्ड के अनुसार आराजी संख्या 333/2 रकबा 7 बीघा 5 बिस्वा भूमि संवत 2018 में आबादी में दर्ज हुई जबकि इसके पूर्व से विपक्षीगण खातेदर कृषक के रूप में दर्ज रेकार्ड है। इसके अतिरिक्त प्रार्थीगण की ओर से बार—बार इस कथन को दोहराया जा रहा है कि विपक्षीगण मूल रूप से आराजी संख्या 333/1 के खातेदार है और सेवन से आगामी रोटेशन से 331/1 दर्ज हो गया जो पत्रावली में उपलब्ध रेकार्ड से स्पष्ट है। विपक्षीगण के रेकार्ड में अगर कोई त्रुटी हुई तो उसकी दुरस्ती कराना या नही कराना विपक्षीगण पर निर्भर है। प्रार्थीगण का इससे कोई सम्बन्ध सरोकार नही है। साबिक आराजी संख्या 333/2 रकबा 7 बीघा 5 बिस्वा भूमि आबादी में दर्ज हुई उस आराजी के नवीन नम्बर जो बने उन नम्बरो पर विपक्षीगण का कोई अधिकार नही है चूंकि वो आबादी भूमि से दर्ज हुए है किन्तु इस प्रकरण में नवीन आराजी संख्या 1131 को लेकर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। यह आराजी साबिक आराजी संख्या 331/1 से दर्ज हुई है और साबिक आराजी संख्या 331/1 किसी भी रूप से आबादी भूमि का भाग नही है। इसके अतिरिक्त विपक्षीगण के द्वारा अपनी खातेदारी आराजियात की पत्थरगढ़ी करवायी गई और पत्थरगढ़ी होने के बाद मौके पर प्रार्थीगणो का कब्जा होने से विपक्षीगण द्वारा धारा 183 के तहत् कब्जा लेने बाबत् वर्ष 2014 में प्रकरण दर्ज करवाया जो वर्ष 2020 में निर्णित हुआ उस निर्णय की पालना में विपक्षीगण को कब्जा भी दिया जा चुका है। प्रार्थीगण की ओर से इस प्रकरण में जो तथ्य अंकित किये गये है वो धारा 183 के प्रकरण में अंकित किये जाते तो न्यायालय विचार करता किन्तु न्यायालय द्वारा धारा 183 के प्रकरण में निर्णय पारित किया जा चुका है और उस निर्णय के विरूद्व प्रार्थीगण के द्वारा अपील प्रस्तुत कर रखी है और दुसरी तरफ इस न्यायालय में पुनः प्रार्थना पत्र एवं वाद प्रस्तुत किया गया है जो उचित नही होकर विधि द्वारा भी वर्जित है। नवीन आराजी संख्या 1131 साबिक आराजी संख्या 331/1 से बना है जो आबादी भूमि नही होने से प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र प्रमाणित नही है। सुविधा का सन्तुलन प्रार्थीगण के पक्ष में नही होकर विपक्षीगण के पक्ष मे है। अगर विपक्षीगण के विरूद्व इस प्रकरण में अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जाती है तो प्रार्थीगण के बजाय विपक्षीगण को अपूर्णीय क्षति होने की संभावना है। विपक्षीगण खातेदार कृषक है, न्यायालय द्वारा खातेदार के पक्ष में निर्णय करने के बाद अगर पुनः खातेदार के विरूद्व अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करना विधि के विपरीत है। ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नही है।

आदेश

अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट. रेकार्ड के विपरीत एवं सारहीन होने से अस्वीकार किया जाता है। खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करे।

निर्णय आज दिनांक 01.06.2022 को भरे [illegible] जाकर सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2022.07.30 11:44:07 IST
Reason: SelfAttested

01/06/2022

(सुन्दरलाल बम्बोडा)
सहायक कलक्टर उपखण्ड अधिकारी
रायपुर जिला भीलवाड़ा

सहायक कलक्टर, उपखण्ड अधिकारी
रायपुर (भीलवाड़ा)